कार्यालय प्राचार्य/नोडल अधिकारी
जिला नोडल शास.औद्यो. प्रशि. संस्था, महासमुंद
जिला – महासमुंद (छ.ग.)

पताः- बीज निगम के पास, लभराखुर्द, 493445 E-mail –itimhd@rediffmail.com

Industrial Training Institute

क्रमांक-औप्रसं0/महा0/स्थाप/मे.प्र./2024/ 1047 /महासमुंद, दिनांक 16/12/2024

प्रति,

// विज्ञप्ति //

संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर क्षेत्र, रायपुर के आदेश के अनुशरण में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद के नोडल क्षेत्र के अंतर्गत जिला महासमुंद में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पद के रिक्त पद विरूद्ध विभिन्न व्यवसायों/विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2024-2025 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) हेतु निर्धारित प्रारूप में **कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लभराखुर्द महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.), पिन 493445 के पते पर** केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से **27.12.2024, दिन-शुक्रवार अपरान्ह 05.00 बजे** तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त/जमा आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। संस्थावार, व्यवसायवार/विषयवार रिक्त पदों की जानकारी, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदंड, नियम एवं शर्तें की जानकारी एवं आवेदन पत्र की प्रारूप महासमुंद जिले के वेबसाईट **https://mahasamund.nic.in/** या **https://mahasamund.gov.in/** पर एवं जिले में संचालित समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के सूचना पटल पर देख सकते है।

1. रिक्त पदों की जानकारी :-

स. क्रं.	व्यवसाय का नाम	औप्रसं महासमुंद	औप्रसं बागबाहरा	औप्रसं पिथौरा	औप्रसं बसना	औप्रसं सरायपाली	कुल
01	विद्युतकार	-	01	-	-	-	01
02	फिटर	01	01	-	01	-	03
03	आई.सी.टी.एस.एम.	01	-	-	-	-	01
04	मैकेनिक डीजल	01	01	01	-	-	03
05	कोपा	01	-	-	-	-	01
06	वेल्डर	-	01	-	02	-	03
07	वर्कशॉप केल्कुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग	-	01	-	02	-	03
	कुल योग	04	05	01	05	-	15

(घनश्याम साहू)
प्राचार्य/नोडल अधिकारी
जिला नोडल शास.औद्यो. प्रशि. संस्था,
महासमुंद छत्तीसगढ़

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्रमांक	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं
01	विद्युतकार	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पध्दति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण
02	फिटर	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पध्दति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मैनुफेक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण
03	आई.सी.टी.एस.एम.	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पध्दति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण
04	मैकेनिक डीजल	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पध्दति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण 3. हल्के मोटर यान (एलएमव्ही) का वैध लाइसेंस अनिवार्य हैं।
05	कोपा	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पध्दति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी को संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्युटर साइंस, इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा डीओई (डीओईएसीसी) से 'ए' स्तर का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से बीसीए/पीजीडीसीए उत्तीर्ण।
06	वेल्डर	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पध्दति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से

		राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मेनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण
07	वर्कशॉप केल्कुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पध्दति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण

3. अंको का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-

1. **प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा।**
2. **सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जायेगी।**
3. **जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल.एम.व्ही) का वैद्य लायसेंस अनिवार्य है, उन व्यवसायों के लिए उक्त लायसेंस की छायाप्रति आवेदन के साथ सलग्न करना अनिवार्य है।**
4. **मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गई अवधि तक कर्तब्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेगा।**

4. नियम एवं शर्ते :-

1. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद जिला-महासमुंद छ.ग. से प्राप्त किया जा सकता है या महासमुंद जिले के वेबसाईट **https://mahasamund.nic.in/** या **https://mahasamund.gov.in/**से डाउनलोड किया जा सकता है एवं आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्वच्छ स्पष्ट एवं बिना कांट-छाट के पूर्ण आवेदन भरकर कार्यालय प्राचार्य/नोडल अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महासमुंद, जिला-महासमुंद छ.ग. 493445 (पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, पिन कोड सहित) स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से प्रेषित किया जाना है। आवेदक द्वारा लिफाफे के उपर व्यवसाय/विषय एवं संस्था का नाम (जिस संस्था हेतु आवेदन किया जा रहा है) का उल्लेख करना अनिवार्य है।

2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली-भांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नही दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जावबदारी स्वयं आवेदक की होगी।
3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूलनिवासी होना अनिवार्य है।
4. पदों की संख्या घटाई/बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
5. वांछित प्रमाण-पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक/स्पीट पोस्ट द्वारा निर्धारित नियत तिथि एवं समय तक जमा किया जा सकता है। डाक द्वारा प्रेषित आवेदनों के नियत तिथि एवं समय के पश्चात्/विलंब से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नही किया जावेगा एवं ऐसे आवेदन स्वमेव ही निरस्त माने जायेंगे।
6. अलग-अलग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं व्यवसायों/विषयों के लिये अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा।
7. अर्हकारी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है, वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।
8. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए एकवर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन की कार्यवाही की जायेगी।
9. सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में चयन की कार्यवाही संबंधित व्यवसाय/विषय हेतु निर्धारित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर किया जायेगा। अनुभव आवश्यक नही है। चयन सूची नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।
10. चयनित आवेदकों के पद के विरूध्द शासन/विभाग द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा नियुक्ति की जाती है तो मेहमान प्रवक्ता की सेवायें स्वयंमेव समाप्त हो जावेगी।
11. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर छत्तीसगढ़ निर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्य के लिए आमंत्रित किये जाने वाले मेहमान प्रवक्ताओं की मानदेय रू. 140/- (अधिकतम 5 घण्टा प्रतिदिन) की दर से प्रतिमाह अधिकतम रू. 15000/- है। जोकि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।
12. यदि किसी आवेदक का चयन किसी एक से अधिक संस्था/व्यवसायों/विषयों के लिए हो जाता है, तो उनके द्वारा किसी एक संस्था/व्यवसाय/विषय के लिए कर्तव्य पर उपस्थित होने के पश्चात् अन्य संस्था/व्यवसाय/विषय पर चयन स्वयंमेव निरस्त समझा जावेगा।
13. चयनित आवेदक को सूचना प्राप्त होने के 05 कार्य दिवस में संबंधित संस्था में अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। 05 कार्य दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर आमंत्रण अस्वीकार मानते हुए अगले आवेदक को आमंत्रित किया जायेगा।
14. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मेरिट सूचियों का अनुमोदन पश्चात् ही नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी को दूरभाष द्वारा सूचना देकर प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने हेतु मेहमान प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया जायेगा। उन्हे किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र जारी/दिया नहीं जायेगा।

15. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। चयनित आवेदक को दुरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना दूरभाष/मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट अंकित करें। दिये गये मोबाईल नंबर पर संपर्क नही हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

16. भाषा अंग्रजी विषय हेतु प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के आवेदक उपलब्ध न होने पर बीएड के मामले में संयुक्त संचालक स्तर पर निर्णय लेकर निर्धारित योग्यता को शिथिल किया जा सकेगा।

17. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र 2024-2025 हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

18. मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उन्हे प्रशिक्षण कार्य में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जायेगा।

19. किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर क्षेत्र, रायपुर जिला-रायपुर छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

प्राचार्य/नोडल अधिकारी
जिला नोडल शास.औद्यो. प्रशि. संस्था,
महासमुंद छत्तीसगढ़